

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 27 जुलाई, 2017

विषय:- अमरोहा में बदायूँ-बिजनौर मार्ग एन0एच0-51 के किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की के खसरा सं0-79 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-570/11सी/अमरोहा/19948/2016/यूपी-136/2016, दिनांक 16-9-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमरोहा में बदायूँ-बिजनौर मार्ग एन0एच0-51 के किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की के खसरा सं0-79 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-1407(1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 3- जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।
- 5- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए-5, सेक्टर-3, नोएडा।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।